

नावाधव ... नुव किया स्वामी क्र राजसात व्यतिकम साधारण रुपय न्यायालय 1900 न्यायालय उसक अपराध पावन आभियुक्त पावती कर उसके पंजीबद्ध ग्रास्थित का कर अथद्गद अपीलीय आभियुनत सुपुर्दगीनामा प्रदान आवश्यक 本 西街 आगिताक दोषिसद 可 नुसु iohac अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्थान में रखाते हुए कराकर हरताह्मारित, दिनांकित, गुद्रांकित अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषा अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं के अर्थदण्ड रो दण्डित किया गया। अर्थदण निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की द को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में जाता है तथा अपील की दशा में माननी आदेशों का पालन हो। प्रकरण का परिणाम आपराधिक प् अयि भें अभिलेख संचयन हेतु आ अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। अत समझाये जाने सुदा संपत्ति दे० रिता रांपिता दिर्यक्षे श्राराष् धारा 3 प्रश्ना अभियुक्त / अभियु धारा 3 प्रश्ना अलग्ना भाग्यका / अभियु आधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्ठि को पढ़कर सुनाये और समस्त अभियुक्तगण निस्ता अन्तर F men or proceeding with Signa रसीद रनपये करना स्वेच्छया स्वीकार किय शब्दों में लेखबन्ह किया गया। की दशा में अभियुक्त कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त/ /अभियुक्तमण प्रकरण उपरोहता जतसुदा जायें। , अधियुक्त / अर्ह िंग्ण्यानुसार प्रश्च ।